सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 26, गुरूवार, *शाके* 1944-नवम्बर 17, 2022 *Kartika 26, Thursday , Saka 1944- November 17, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 14, 2022

संख्या प.31(2)गृह-9/2022 :-मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा नीचे बताए गये ग्राम के वर्णित क्षेत्र को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें 31 मार्च 2032 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विति हेतु 127वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल, सतराना, घडसाना को स्माल आर्म्स फ्लेट ट्रैजेक्ट्री वेपेन्स फायरिंग रेंज (125 गुणा 50 वर्ग मीटर) हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

क्षेत्र का विवरण

चक 14 एमडी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर के मु.नं. 82/24 के किला नं. 1/1 की 0.228, 2 ता 9 की 2.024, 10/1 की 0.228, 11/1 की 0.228, 12 ता 19 की 2.024, 20/2 की 0.228, 21/2 की 0.202, 22/2 की 0.228, 23/1 की 0.228, 24/2 की 0.228, 25/2 की 0.228 कुल 6.074 है. कमाण्ड/अ.क. रकबा में से किला नं. 12/0.221, 13/0.159, 14/0.047, 17/0.079, 18 की 0.094, 19/0.032 कुल 0.632 है. रकबा।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

मुकेश पारीक,
शासन उप सचिव,

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।